भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4697

जिसका उत्तर 21.08.2025 को दिया जाना है

उच्च सुरक्षा वाले पंजीकरण प्लेट

†4697. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उच्च सुरक्षा वाले पंजीकरण प्लेटों (एचएसआरपी) के कार्यान्वयन की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को देश के कुछ भागों में नकली एचएसआरपी के निर्माण की जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी जालसाजी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एचएसआरपी की अनुपलब्धता और वितरण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अब तक एचएसआरपी नियमों का अनुपालन नही करने वाले पंजीकृत वाहनों का राज्य-वार अनुपात कितना है; और

(च) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि महाराष्ट्र में एचएसआरपी के लिए शुल्क अन्य राज्यों में तत्संबंधी शुल्क की तुलना में दोगुने से भी अधिक है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ङ) दिनांक 12 अगस्त, 2025 तक वाहन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वाहनों पर लगाई गई उच्च सुरक्षा वाली पंजीकरण प्लेटों की कुल संख्या 20,16,32,060 है। देश में उच्च सुरक्षा वाली पंजीकरण प्लेटों (एचएसआरपी) के कार्यान्वयन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **अनुलग्नक 'क'** में संलग्न है।

(ख) और (ग) केंद्र सरकार ने नकली उच्च सुरक्षा वाली पंजीकरण प्लेटों के संबंध में केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 50 (1) में निम्नलिखित प्रावधान किया है:

(i) प्लेट 1.0 मिमी एल्युमीनियम से बनी एक ठोस यूनिट होगी जो समय-समय पर संशोधित एआईएस: 159: 2019 के अनुरूप होगी (जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) या

आईएसओ: 7591 के तहत बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं हो जाता)। लगभग 10 मिमी तक चोट लगने से बचाव के लिए प्लेट के किनारों और कोनों को गोल किया जाएगा और प्लेटों में उभरा हुआ बॉर्डर होना चाहिए। प्लेट हॉट स्टैम्पिंग के लिए उपयुक्त होगी और रिफ्लेक्टिव शीट के कम से कम पांच वर्षों तक खराब न होने की गारंटी दी जानी चाहिए। लेजेंड और बॉर्डर का गाढ़ा रंग हॉट स्टैम्पिंग द्वारा किया जाएगा;

(ii) प्लेट के सबसे बाएं मध्य भाग पर नीले रंग में "आईएनडी" अक्षर अंकित होने चाहिए... और इसे फ़ॉइल में दबा होना चाहिए या हॉट स्टैम्पिंग द्वारा लगाया जाना चाहिए और यह प्लेट का अभिन्न अंग होना चाहिए;

(iii) प्रत्येक प्लेट को हॉट स्टैम्पिंग द्वारा लगाए गए क्रोमियम-आधारित होलोग्राम लगाकर नकली से बचाया जाएगा। स्टिकर और चिपकने वाले लेबल की अनुमति नहीं है। प्लेट पर कम से कम दस अंकों की एक स्थायी क्रमिक पहचान संख्या अंकित होनी चाहिए, जिसे रिफ्लेक्टिव शीटिंग पर लेज़र ब्रांडिंग होगी और हॉट स्टैम्पिंग फिल्म पर एक सत्यापन शिलालेख (इंसक्रिप्शन) अंकित होगा....

(iv) प्लेट को वाहन के पिछले हिस्से पर हटाए ना जाने वाले/दोबारा उपयोग में ना आने वाले स्नैप लॉक फिटिंग सिस्टम से बंधा होना चाहिए:...

केंद्र सरकार ने कुछ एचएसआरपी विनिर्माताओं द्वारा अनधिकृत और अवैध तरीके से उच्च सुरक्षा वाली पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) जारी करने के संबंध में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) के माध्यम से राज्य परिवहन विभागों, परीक्षण एजेंसियों और ओईएम को कई परामर्शी जारी की हैं।

(घ) और (च) केंद्र सरकार की भूमिका मोटर यान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अंतर्गत नियमों/विनियमों को अधिसूचित करना है। मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों और केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अंतर्गत बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। एचएसआरपी सहित मोटर वाहन कंपोनेंट्स की मूल्य का निर्धारण या विनियमन केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

अनुलग्नक-क

'उच्च सुरक्षा वाले पंजीकरण प्लेट' के संबंध में श्री असादुद्दीन ओवैसी और श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर द्वारा पूछे गए दिनांक 21.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4697 के भाग (क) और (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य का नाम	पंजीकृत वाहनों की संख्या	एचएसआरपी लगे वाहन की संख्या	एचएसआरपी नहीं लगे वाहन की संख्या	एचएसआरपी न लगे पंजीकृत वाहनों का अनुपात (%)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	178660	50846	127814	71.54
2	आंध्र प्रदेश	18486709	2071421	16415288	88.80
3	अरुणाचल प्रदेश	381030	135821	245209	64.35
4	असम	6696875	5712308	984567	14.70
5	बिहार	14585767	8827595	5758172	39.48
6	चंडीगढ़	941998	379155	562843	59.75
7	छत्तीसगढ	8850114	3969475	4880639	55.15
8	दिल्ली	15531306	7207453	8323853	53.59
9	गोवा	1401847	472131	929716	66.32
10	गुजरात	26846368	22218786	4627582	17.24
11	हरियाणा	13951739	9177581	4774158	34.22
12	हिमाचल प्रदेश	2474590	1953461	521129	21.06
13	जम्मू और कश्मीर	2437947	2276359	161588	6.63
14	झारखंड	8285931	3186647	5099284	61.54
15	कर्नाटक	33607461	14207816	19399645	57.72
16	केरल	18502182	4709555	13792627	74.55
17	लद्दाख	54887	32510	22377	40.77
18	लक्षद्वीप	21497	508	20989	97.64
19	मध्य प्रदेश	24556837	6572040	17984797	73.24
20	महाराष्ट्र	40554743	18675101	21879642	53.95
21	मणिपुर	615464	205129	410335	66.67
22	मेघालय	611430	246478	364952	59.69

23	मिजोरम	415330	250729	164601	39.63
24	नागालैंड	477388	158875	318513	66.72
25	ओडिशा	12298718	8163326	4135392	33.62
26	पुदुचेरी	1469623	663372	806251	54.86
27	पंजाब	14741079	9195395	5545684	37.62
28	राजस्थान	22380466	14942902	7437564	33.23
29	सिक्किम	131870	69840	62030	47.04
30	तमिलनाडु	34229564	10712420	23517144	68.70
31	त्रिपुरा	845869	316576	529293	62.57
32	संघ राज्य क्षेत्र दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	424206	129513	294693	69.47
33	उत्तर प्रदेश	51897298	28663484	23233814	44.77
34	उत्तराखंड	4257109	2679750	1577359	37.05
35	पश्चिम बंगाल	17624293	13397702	4226591	23.98
36	**कुल योग**	**400768195**	**201632060**	**199136135**	**49.69**

नोट: - उपरोक्त डेटा तेलंगाना (जहां वर्तमान में प्रवासन (माइग्रेशन) चल रहा है) को छोड़कर वाहन 4 में सभी राज्यों का है।

*****